संख्या-6/228/41-2014-17 यो0/2013

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक:: 04 मार्च, 2014

विषय: वित्तीय वर्ष 2013-14 में चालू योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-3046/6-1-1 (बजट)/2013-14, दिनांक-16.01.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 05 चालू योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि रू0-629.58 लाख (रूपये छः करोड़ उनतीस लाख अट्ठावन हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

1- जिन चालू योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उन योजनाओं, योजनान्तर्गत पूर्व स्वीकृत धनराशि तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का विवरण संलग्न है। इन योजनाओं में गाजीपुर जनपद की 03 योजनाओं तथा 01 योजना मथुरा परिक्रमा मार्ग एवं 01 योजना फैजाबाद (अयोध्या) के पर्यटन विकास से सम्बन्धित है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

http://shasnadesh.up.nic.in

4- यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-3452-आयोजनागत-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-19-पर्यटन एवं शिल्पकला का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य मद की धनराशि से संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग द्वारा लेखा शीर्षक- 3452- प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग आशासकीय संख्या-339-ई-7/दस-2014, दिनांक-04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक:-यथोक्त।</u> **भवदीय,**

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

<u>संख्या-6/228/(1)/41-2014 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (संलग्नक सहित) ।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-अनुभाग-1
6. सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी।
7. सम्बन्धित कार्यदासी संस्था-उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम/सुलभ इन्टरनेशनल सोशल आर्गनाइजेशन।
8. श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9. योजनाओं से सम्बन्धित पत्रावली में अभिलेखार्थ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

http://shasnadesh.up.nic.in

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

http://shasnadesh.up.nic.in